न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 03/2011

दायर दिनांकः 26.08.2011

निर्णय दिनांक 28.04.2025

—: अनवान :—

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, नाथद्वारा — **प्रार्थी**

बनाम

किशनलाल पिता लच्छीराम ब्राह्मण निवासी भाणूजा खुर्द तहसील नाथद्वारा के बजाय

1/1 श्री विजयशंकर पिता कालुलाल निवासी छोटा भाणुजा तहसील खमनोर

1/2 श्रीमती रम्भा बाई पत्नि कालुलाल निवासी छोटा भाणुजा तहसील खमनोर

— **अप्रार्थी**

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः

1— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी।
2— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत अधिवक्ता अप्रार्थी ।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छोटा भाणुजा की वर्तमान आराजी नं. 1052 रकबा 0–05 बिस्वा भूमि अप्रार्थी किशनलाल पिता लच्छीराम ब्राह्म्ण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी नं. 1052 के गत भूमाप के आ.न. 1023 रकबा 0–6 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। गत भूमाप के आराजी नम्बर 1023 रकबा 0–06 बिस्वा भूमि श्री महादेव जी नीलकण्ठ जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादग्रस्त भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 (3) (ख) (पप) के विपरित अप्रार्थी ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली है जो अवैध है। वादग्रस्त दर्ज भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की घारा 46 की उपधारा 2 (न) के अनुसार देवता श्री महोदव जी नीलकण्ठ जी स्थान देह की होने

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

से इस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। शासन उपसचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक– 3 (2) राज–6/2007/ 14 जयपुर दिनांक 24/05/2007 में प्रसारित निर्देशों के आलोक में परीक्षण कर लिया गया है। वादग्रस्त भूमि गत भूमाप में देवमूर्ति की भूमि होने से पुनः श्री महादेव जी नील कण्ठ जी स्थान देह के नाम दर्ज कराने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। जिस पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह उपस्थित हुए। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह गलत है कि गत भूमाप के समय उक्त भूमि श्री महादेव जी नीलकण्ठ जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकर्ड हो। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के उल्लंघन में विपक्षी एवं विपक्षी के पूर्वाधिकारी के नाम कोई खातेदारी भूमि दर्ज नहीं की गयी है। वादग्रस्त भूमि कभी भी महादेव जी के खातेदारी में नहीं रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित परिपत्र के बिन्दु संख्या 03 से 06 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मन्दिरों को माफी की जो भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी और जागीरों के पुर्नग्रहण के समय ऐसी भूमि किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 03 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऐसी भूमियों को वापस मन्दिर के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। उक्त भूमि महादेव जी के नाम दर्ज किये जाने का कोई आधार नहीं है। एवं विशेष कथन में यह निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गत सेटलमेन्ट के समय उक्त भूमि महादेव जी के नाम जागीर के रूप में दर्ज थी, महादेव जी के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज नहीं थी। इस कारण जागीरों के अधिग्रहण के समय उक्त भूमि जागीरदार से अर्थात महादेव जी के नाम से अधिगृहित की जाकर राजस्थान सरकार के स्वामित्व में दर्ज की गयी परन्तु खातेदारी अधिकार पूर्वानुसार विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी का ही रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने का आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम छोटा भाणुजा की वर्तमान आराजी नं. 1052 रकबा 0–05 बिस्वा भूमि अप्रार्थी किशनलाल पिता लच्छीराम ब्राह्म्ण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी नं. 1052 के गत भूमाप के आ.न. 1023 रकबा 0–6 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। गत भूमाप के आराजी नम्बर 1023 रकबा 0–06 बिस्वा भूमि श्री महादेव जी नीलकण्ठ जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादग्रस्त भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 (3) (ख) (पप) के विपरित अप्रार्थी ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली है जो अवैध है। वादग्रस्त दर्ज भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की घारा 46 की उपधारा 2 (न) के अनुसार देवता श्री महोदव जी नीलकण्ठ जी स्थान देह की होने से इस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। शासन उपसचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा

जारी परिपत्र क्रमांक– 3 (2) राज–6/2007/ 14 जयपुर दिनांक 24/05/2007 में प्रसारित निर्देशों के आलोक में परीक्षण कर लिया गया है। वादग्रस्त भूमि गत भूमाप में देवमूर्ति की भूमि होने से पुनः श्री महादेव जी नील कण्ठ जी स्थान देह के नाम दर्ज कराने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि कभी भी महादेव जी के खातेदारी में नहीं रही है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के उल्लंघन में विपक्षी एवं विपक्षी के पूर्वाधिकारी के नाम कोई खातेदारी भूमि दर्ज नहीं की गयी है। शासन उपसचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक– 3 (2) राज–6/2007/ 14 जयपुर दिनांक 24/05/2007 के बिन्दु संख्या 03 से 06 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मन्दिरों को माफी की जो भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी और जागीरों के पुर्नग्रहण के समय ऐसी भूमि किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 03 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऐसी भूमियों को वापस मन्दिर के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। उक्त भूमि महादेव जी के नाम दर्ज किये जाने का कोई आधार नहीं है उक्त प्रकरण में गत सेटलमेन्ट के समय उक्त भूमि महादेव जी के नाम जागीर के रूप में दर्ज थी, महादेव जी के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज नहीं थी। इस कारण जागीरों के अधिग्रहण के समय उक्त भूमि जागीरदार से अर्थात महादेव जी के नाम से अधिगृहित की जाकर राजस्थान सरकार के स्वामित्व में दर्ज की गयी परन्तु खातेदारी अधिकार पूर्वानुसार विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी का ही रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश फरमावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया व प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम छोटा भाणुजा की जमाबन्दी संवत 2064–2067 अनुसार आराजी नं. 1052 रकबा 0–05 बिस्वा भूमि अप्रार्थी किशनलाल पिता लच्छीराम ब्राह्म्ण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भू प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2025 अनुसार उक्त आराजी नं. 1052 के गत भूमाप के आ.न. 1023 रकबा 0–6 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। मेवाड़ सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 2010 अनुसार गत भूमाप के आराजी नम्बर 1023 रकबा 0–06 बिस्वा भूमि श्री महादेव जी नीलकण्ठ जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नं. 1052 (साबिक आ.नं. 1023)देवमूर्ति के नाम दर्ज थी। एवं तत्पश्चात् वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज कर दी गई। चुंकि यह स्थापित विधि है कि देवता एक शाश्वत नाबालिग है एवं उनके नाम अंकित भूमि का अंतरण नहीं किया जा सकता और उसमें एक उप अभिधारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। एवं एक अव्यस्क जागीरदार

की खुदकाश्त भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अप्रार्थी की तरफ से उपरोक्त तथ्यों के खण्डन में ऐसे कोई अकाटय तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे कि यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हो। अतः ग्राम छोटा भाणुजा वर्तमान तहसील खमनोर में स्थित भूमि आराजी संख्या 1052 रकबा 0–05 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम से हटाकर श्री महादेव जी नील कण्ठ जी स्थान देह के नाम अंकन करने का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि ग्राम छोटा भाणुजा वर्तमान तहसील खमनोर में स्थित भूमि आराजी संख्या 1052 रकबा 0–05 बिस्वा भूमि श्री महादेव जी नील कण्ठ जी स्थान देह के नाम अंकन करने का अनुमोदन हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

28/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)